



स्वाट टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत आढत व्यापारी के साथ हुई लूट का पर्दाफाश, 04 अभियुक्तगण लूट के 1,20,000/- रुपये, लैपटाप, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल व अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार ।

दिनांक 09.10.2021 को समय करीब 20.15 बजे थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत आढत व्यापारी श्री राजीव अग्रवाल अपने घर के पास पहुंचे तभी 02 मोटरसाईकिल पर सवार बदमाशों द्वारा बलंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचाकर 2.40 लाख रुपये, 01 लैपटॉप, 02 पैन ड्राईव व दुकान के कागज लूटकर फरार हो गये। इस सम्बन्ध में राजीव अग्रवाली के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 702/21 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा बदमाशो की गिरफ्तारी हेतु 03 टीमें गठित की गयी। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम को अहम सुराग प्राप्त हुये। इसी क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये 04 अभियुक्तगण 1- मौसम उर्फ मोहसीन 2- दीपक 3- मलखान 4- प्रवेन्द्र को स्वाट टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.10.2021 को काली मंदिर चौराहे से लूट की योजना बनाते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से लूट के 1,20,000/- रुपये, लैपटाप, चार्जर, पैन ड्राईव, 04 अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल बरामद की गयी। अवैध शस्त्रो की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 709/21 से 712/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम उपरोक्त पंजीकृत किये गये।

पुलिस टीम द्वारा की गयी पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि हमारा साथी मलखान आढती व्यापारी राजीव अग्रवाल की दुकान पर काफी समय पहले नौकरी करता था। जिसका किसी बात को लेकर व्यापारी से विवाद हो गया था जिसके बाद व्यापारी ने मलखान को नौकरी से निकाल दिया गया था। जिससे मलखान व्यापारी से रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश के कारण मलखान ने हमें व्यापारी की दुकान पर होने वाली आमदनी के बारे में बताया था कि व्यापारी अपने साथ रोजाना काफी पैसो का लेन देन करता है और नगदी लेकर अपने साथ चलता है। यदि हम सब मिलकर व्यापारी राजीव के साथ लूट करेगे तो हमें बहुत पैसे मिल जायेगे। इसी योजना के तहत अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 09.10.2021 का लगभग 20.00 बजे राजीव जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तभी हम लोगो द्वारा उसको बलंट ऑब्जेक्ट से घायल करके पैसो से भरा बैग लूटकर मोटरसाईकिलो से फरार हो गये। हडबडी में भागते समय बैग से कुछ समान रास्ते में गिर गया था। बरामद 1,20,000/- रुपये, लैपटॉप, पैनड्राईव उसी लूट के है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 1- मौसम उर्फ मोहसीन पुत्र महबूब निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2- दीपक पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3- मलखान पुत्र कैलाश सिंह निवासी ग्राम पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4- प्रवेन्द्र उर्फ गंजा पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।





बरामदगी का विवरण:-

- 1- लूट के 1,20,000/- रुपये
- 2- घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल
- 3- 01 लैपटाप, चार्जर, माउस
- 4- 04 तमंचे 315 बोर व 08 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 5- 02 पैन् ड्राईव
- 6- दवाईयो के रैपर व बिल ।

आपराधिक इतिहास:-

मौसम उर्फ मोहसीन पुत्र महबूब उपरोक्त

- 1- मु0अ0सं0 702/21 धारा 394 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2- मु0अ0सं0 708/21 धारा 398/411/401 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3- मु0अ0सं0 709/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

दीपक पुत्र चन्द्रपाल उपरोक्त

- 1- मु0अ0सं0 510/18 धारा 398/401/420 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2- मु0अ0सं0 512/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3- मु0अ0सं0 702/21 धारा 394 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 4- मु0अ0सं0 708/21 धारा 398/411/401 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 5- मु0अ0सं0 710/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

मलखान पुत्र कैलाश सिंह उपरोक्त

- 1- मु0अ0सं0 510/18 धारा 398/401/420 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2- मु0अ0सं0 511/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3- मु0अ0सं0 702/21 धारा 394 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 4- मु0अ0सं0 708/21 धारा 398/411/401 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 5- मु0अ0सं0 711/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

प्रवेन्द्र उर्फ गंजा पुत्र पीतम सिंह उपरोक्त


- 1- मु0अ0सं0 702/21 धारा 394 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2- मु0अ0सं0 708/21 धारा 398/411/401 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3- मु0अ0सं0 712/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम का विवरण

स्वाट टीम का विवरण:- निरीक्षक श्री नरेश कुमार, उ०नि० श्री जरार हुसैन, मुख्य आरक्षी राजकुमार नागर, का० मौ० खालिद, का० मोहित शर्मा, का० अरुण कुमार व टीम ।

थाना कोतवाली शहर:- निरीक्षक श्री राधेश्याम, उ०नि० श्री योगेश कुमार, उ०नि० श्री पुष्पेन्द्र सिंह, का० हरेन्द्र मलिक, का० शिव कुमार, का० सन्नीराज, का० कुशलपाल

थाना नांगल:- आज दिनांक 11.10.2021 को थाना नांगल पुलिस द्वारा अभि०गण 1-हिमान्शु पुत्र अरविन्द निवासी नांगल, 2-संजू पुत्र संदीप निवासी जालपुर थाना नांगल, 3-ओमप्रकाश पुत्र कोमल सिंह निवासी सौफतपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को 20-20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु०अ०सं० 101/21 से 103/21 तक धारा 60 (1) आबकारी अधि० बनाम उपरोक्त पंजीकृत किये गये।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 11.10.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभि० कुशाग्र पुत्र त्रिवेन्द्र पाल सिंह निवासी मौ० खाटियान कस्बा व थाना धामपुर को 01 अवैध तमन्चे सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 572/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि बनाम बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



थाना शेरकोट:- आज दिनांक 11.10.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभि० रंजीत कुमार सैनी पुत्र बाबूराम निवासी मौ० नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु०अ०सं० 227/21 धारा 60 (1) आबकारी अधि० बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



मिशन शक्ति अभियान फेस-03



माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति फेस - 3" के क्रम में आज दिनांक 11.10.2021 थाना चॉदपुर क्षेत्रान्तर्गत आधारशिला इण्टर कॉलेज में छात्राओं/वालिकाओं को जागरूक करने के लिये विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ0 प्रवीन रंजन सिंह अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति जनपद बिजनौर द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये डॉ0 प्रवीन रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति जनपद बिजनौर द्वारा कहा गया कि आज के समय नारी शक्ति किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। **"जब आपमें है शक्ति सारी, फिर क्यों बने बिचारी"** अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का खुद ही मुकाबला करें, पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है। जब नारी शक्ति देश की तीनों सेना जल, थल, वायु में पुरुषों की बराबरी कर रहीं है तो उनको कम कैसे आंका जा सकता है। आज की बेटियाँ हर मामले में बेटों से आगे है। किसी भी सहायता के लिये हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 का प्रयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी चॉदपुर, प्रभारी निरीक्षक चॉदपुर, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना बिजनौर, थानाध्यक्ष महिला थाना चॉदपुर आदि उपस्थित रहे।





मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना नांगल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के स्कूलों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।

